न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2018 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

श्रीमती कमला देवी पुत्री उदय सिंह जी रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, हाल निवासी महरातों की बरजाल, जिला राजसमन्द (राज.)

..... प्रार्थी/रिव्यूकर्ता

बनाम

1. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी माधु सिंह जी रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजेश सिंह पिता माधु सिंह जी रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सोहन सिंह पिता माधु सिंह जी रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. छगन सिंह पिता माधु सिंह जी रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नारायण सिंह पिता माधु सिंह जी रावत, निवासी टोगी, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक रे.सं. 2, 4

——::——

निर्णय **दिनांक 19–10–2023**

अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि प्रकरण वास्ते तामिल नियत था और प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट के सम्मन प्रेषित किये गये थे, लेकिन तामिल नहीं होने के कारण पुनः लौट आये। प्रकरण में केवल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की तामिल शेष थे, बाकी सभी रेस्पोन्डेन्टगण की तामिल हो चुकी थी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को दिनांक 23–05–2018 को रजिस्टर्ड नोटिस तामिल प्रेषित किया गया, जिसकी पोस्टल रसीद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 30–05–2018 अपीलान्ट की डायरी में अंकित हो गयी, जबकि पेशी 29–05–2018 की होने से आप न्यायालय द्वारा तामिल नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील खारिज कर दी गयी, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुसार आज नंबर पर ली जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर निर्णय किया जाता।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर तामिल नहीं करवायी जा रही थी, जिस कारण आप न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत प्रकरण अदम तकमील में खारिज किया गया है। प्रकरण अदम तकमील में खारिज हो जाने से पुनः नंबर पर लिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–05–2018 की आदेशिका अनुसार वकील अपीलान्ट को दिनांक 15–05–2018 का नोटिस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को रजिस्टर्ड ए.डी. जारी किया गया, किन्तु रसीद पेश नहीं की गयी है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता को हिदायत दी जाती है कि आगामी पेशी दिनांक 29–05–2018 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. सही पते पर नोटिस भेजे जाकर रसीद पेश करें। अन्यथा आदेश 9 नियम 2 के तहत कार्यवाही की जायेगी। न्यायालय हाजा द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 29–05–2018 को अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील खारिज कर दी। इस संबंध में अपीलान्ट/प्रार्थी का कथन है कि केवल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की तामिल शेष थे, बाकी सभी रेस्पोन्डेन्टगण की तामिल हो चुकी थी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को दिनांक 23–05–2018 को रजिस्टर्ड नोटिस तामिल प्रेषित किया गया, जिसकी पोस्टल रसीद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 30–05–2018 अपीलान्ट की डायरी में गलती से अंकित हो गयी, जबकि पेशी 29–05–2018 की होने से आप न्यायालय द्वारा तामिल नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील खारिज कर दी गयी, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। हम यह पाते हैं कि प्रकरण में सभी रेस्पोन्डेन्ट की तामिल होकर सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ही तामिल शेष थी ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को बिना पर्याप्त अवसर दिये अपीलान्ट का प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील खारिज किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2018 अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested